UPKJ010044632022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी– नरेन्द्र कुमार झा, उच्चतर न्यायिक सेवा–UP02007

सत्र परीक्षण संख्या–820/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजनपक्ष।**

प्रति

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र नाथूराम
2. बृजेश कुमार पुत्र आछेलाल
3. रवि पुत्र रामदास
4. पंकज पुत्र रामाधार
5. आशाराम पुत्र रामाधार
6. उमेश पुत्र अनिल कुमार

निवासीगण– ग्राम कलकत्तापुर्वा, थाना तालग्राम, जनपद कन्नौज।

7. राजन पटेल पुत्र आदित्य पटेल, निवासी–ग्राम किस्तियापुर, थाना तालग्राम, जनपद कन्नौज।
8. शानू पटेल पुत्र अमर सिंह, निवासी ग्राम आसफपुर पट्टी, थाना तालग्राम, जनपद कन्नौज।

..............................**अभियुक्तगण।**

अपराध संख्या–189/2022
धारा–147, 148, 427/149, 436/149
व 341/149 भारतीय दण्ड संहिता एवं
धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट
थाना–तालग्राम, जनपद कन्नौज।

एवं

UPKJ010054152022

सत्र परीक्षण संख्या–996/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजनपक्ष।**

प्रति

1. तोताराम शर्मा पुत्र मुंशीलाल, निवासी ग्राम कुशलपुर्वा, थाना तालग्राम, जनपद कन्नौज।
2. चंचल त्रिपाठी पुत्र आनन्द प्रकाश त्रिपाठी, निवासी ग्राम रनवा, थाना तालग्राम, जनपद कन्नौज।
3. संदीप पुत्र रमेशचन्द्र, निवासी ग्राम रसूलाबाद, थाना तालग्राम, जनपद कन्नौज।

................................**अभियुक्तगण।**

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2026.04.23 16:58:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Kannauj.

अपराध संख्या–189/2022
धारा– 147, 148, 427, 436
व 341 भारतीय दण्ड संहिता एवं
धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट
थाना–तालग्राम, जनपद कन्नौज।

माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्णीत IN RE TO ISSUE CERTAIN GUIDELINES REGARDING INADEQUACIES AND DEFICIENCIES IN CRIMINAL TRIALS VS STATE OF ANDHRA PRADESH & OTHER 2021(6) SCALE 63 में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में प्रकरण के संक्षिप्त विवरण व तत्व निम्नानुसार हैं–

(प्रारूप–क)

(निर्णय दिनांक–23.04.2026)	
फरियादी/सूचनाकर्ता	उपनिरीक्षक रामप्रकाश
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री प्रदीप कुमार सिंह चौहान
अभियुक्तगण	**सत्र परीक्षण संख्या–820/2022** 1. वीरेन्द्र सिंह 2. बृजेश कुमार 3. रवि 4. पंकज 5. आशाराम 6. उमेश 7. राजन पटेल 8. शानू पटेल **एवं** **सत्र परीक्षण संख्या–996/2022** 1. तोताराम शर्मा 2. चंचल त्रिपाठी 3. संदीप
अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	रमेश चन्द्र पाण्डेय, प्रशान्त तिवारी, अवधेश कुमार, प्रमोद दोहरे तथा सियाराम कनौजिया।

(प्रारूप–ख)

घटना की तिथि	16.07.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन का दिनांक	16.07.2022
अभियोग पत्र क्रमांक एवं प्रस्तुति दिनांक	**1. सत्र परीक्षण संख्या–820/2022,** 184/2022, दिनांक–11.09.2022 **2. सत्र परीक्षण संख्या–996/2022** 184A/2022, दिनांक–05.11.2022

समस्त सत्र परीक्षणों में आरोप विरचित करने का दिनांक	क्रमशः दिनांक–28.11.2022 एवं 13.01.2023
साक्ष्य अनुलेखन आरम्भ करने का दिनांक	04.04.2023
निर्णय घोषित करने के लिए प्रकरण आरक्षित करने का दिनांक	22.04.2026
निर्णय घोषित दिनांक	23.04.2026
दण्डादेश यदि कोई हो तो पारित करने का दिनांक	–

(प्रारूप–ग)
अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची
क–अभियोजन साक्षीगण

साक्षी सं०	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी०डब्लू० 1	उपनिरीक्षक राम प्रकाश	तहरीर साबितकर्ता
पी०डब्लू० 2	नीरज कुमार	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू० 3	उम्मीदुल हसन	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू० 4	आरक्षी 739 कर्मवीर	प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जी.डी. कायमी साबितकर्ता
पी०डब्लू० 5	हरेन्द्र सिंह	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू० 6	जमील	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू० 7	सफीकुर्रहमान	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू० 8	दानिश	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू० 9	इमरान	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू० 10	उपनिरीक्षक राजेश प्रताप सिंह	घटना स्थल का नक्शा नजरी एवं आरोप पत्र साबितकर्ता
पी०डब्लू० 11	माजिद खान	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू० 12	शेखू उर्फ अफसर	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू० 13	गुलफाम	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू० 14	नौशाद	स्वतंत्र साक्षी

ख– बचाव साक्षीगण

साक्षी सं०	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

ग– न्यायालयीन साक्षीगण

साक्षी सं०	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

क–अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	वर्णन
01–	प्रदर्श क–1	तहरीर
02–	प्रदर्श क–2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
03–	प्रदर्श क–3	जी. डी. कायमी
04–	प्रदर्श क–4	घटना स्थल का नक्शा नजरी
05–	प्रदर्श क–5	आरोप पत्र संख्या–184/2022
06–	प्रदर्श क–6	आरोप पत्र संख्या–184A/2022

ख–बचाव

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	वर्णन	पृष्ठ क्रमांक
–	–	–	–

ग–न्यायालय

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	वर्णन	पृष्ठ क्रमांक
–	–	–	–

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में थाना तालग्राम, जनपद कन्नौज द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या–189/2022, धारा–147, 148, 427, 436** व **341 भारतीय दण्ड संहिता** एवं **धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट** में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्तगण वीरेन्द्र सिंह, बृजेश कुमार, रवि, पंकज, आशाराम, उमेश, राजन पटेल व शानू पटेल का मामला दिनांक **28.09.2022** एवं उपरोक्त अपराध संख्या एवं उपरोक्त धाराओं में अभियुक्तगण तोताराम शर्मा, चंचल त्रिपाठी व संदीप का मामला दिनांक **25.11.2022** तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा सत्र न्यायालय, कन्नौज को सत्र सुपुर्द किया गया है, जो इस न्यायालय में क्रमशः सत्र परीक्षण संख्या–820/2022 एवं 996/2022 के रूप में संस्थित हुए।

2. चूंकि उपरोक्त समस्त सत्र वाद एक ही अपराध संख्या व घटना से संबंधित हैं, जिसके आधार पर उपरोक्त सत्र वादों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। सत्र वाद संख्या–820/2022 को अग्रणी सत्र वाद निर्धारित करते हुए, उसी पर निर्णय व आदेश पारित किया जा रहा है।

प्रकरण का संक्षिप्त परिचय

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी/उपनिरीक्षक थाना तालग्राम राम प्रकाश ने एक तहरीर थाना तालग्राम में इस आशय की प्रस्तुत की है कि वह थाना हाजा से रोकथाम जुर्म जरायम, शांति व्यवस्था की ड्यूटी में व्यस्त था। सूचना मिली की ग्राम रसूलाबाद में शिव मंदिर के पास किसी जानवर के अवशेष पाये जाने के विरोध स्वरूप आसपास गांवों के करीब 100 व्यक्ति नाम पता अज्ञात ने तालग्राम इन्दरगढ़ रोड को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया है। काफी समझाने बुझाने के बाद भी उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उग्र होकर ग्राम रसूलाबाद व कस्बा तालग्राम में कुछ लकड़ी की गुमटियों को आग लगाकर

क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना के सम्बन्ध में उचित धाराओं में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करने की याचना की गई।

4. वादी राम प्रकाश की तहरीर के आधार पर थाना तालग्राम की पुलिस ने दिनांक 16.07.2022 को समय 21:10 बजे अपराध संख्या–189/2022 में धारा–147, 148, 427, 436 व 341 भारतीय दण्ड संहिता की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट 100 व्यक्ति नाम, पता अज्ञात के विरूद्ध अंकित की तथा इसकी कायमी का उल्लेख उसी समय थाने की सामान्य दैनिकी में रपट संख्या–48 पर किया गया। प्रकरण के विवेचक द्वारा दिनांक 16.07.2022 को घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा चश्मदीद साक्षी शेखू, माजिद, रेहान, सफीकुर्रहमान, इमरान, इंतजार के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण वीरेन्द्र सिंह, बृजेश कुमार, रवि, पंकज, आशाराम, उमेश, राजन पटेल व शानू पटेल के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 184/2022 एवं अभियुक्तगण तोताराम शर्मा, चंचल त्रिपाठी व संदीप के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 184A/2022 मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गए।

5. तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01 कन्नौज द्वारा **दिनांक 28.11.2022** को अभियुक्तगण वीरेन्द्र सिंह, बृजेश कुमार, रवि, पंकज, आशाराम, उमेश, राजन पटेल व शानू पटेल के विरूद्ध धारा–147, 148, 427/149, 436/149 व 341/149 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट एवं **दिनांक 13.01.2023** को अभियुक्तगण तोताराम शर्मा, चंचल त्रिपाठी व संदीप के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147, 148, 427, 436 व 341 एवं धारा 7 सी.एल.ए. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजनपक्ष द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.–1 उपनिरीक्षक राम प्रकाश (तहरीर साबितकर्ता), पी.डब्लू.–2 नीरज कुमार (स्वतंत्र साक्षी), पी.डब्लू.–3 उम्मीदुल हसन(स्वतंत्र साक्षी), पी.डब्लू.–4 आरक्षी 739 कर्मवीर(प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जी.डी. कायमी साबितकर्ता), पी.डब्लू.–5 हरेन्द्र सिंह (स्वतंत्र साक्षी), पी.डब्लू.–6 जमील (स्वतंत्र साक्षी), पी.डब्लू.–7 सफीकुर्रहमान (स्वतंत्र साक्षी), पी.डब्लू.–8 दानिश(स्वतंत्र साक्षी), पी.डब्लू.–9 इमरान(स्वतंत्र साक्षी), पी.डब्लू.–10 उपनिरीक्षक राजेश प्रताप सिंह (घटना स्थल का नक्शा नजरी एवं आरोप पत्र साबितकर्ता), पी.डब्लू.–11 माजिद खान(स्वतंत्र साक्षी), पी.डब्लू.–12 शेखू उर्फ अफसर (स्वतंत्र साक्षी), पी.डब्लू.–13 गुलफाम(स्वतंत्र साक्षी), पी.डब्लू.–14 नौशाद(स्वतंत्र साक्षी) को परीक्षित कराया गया है।

7. अभियोजन की तरफ से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में 06 अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया, जिनका विवरण वर्तमान निर्णय में ऊपर किया जा चुका है।

8. अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अपने इस कथन में अभियुक्तगण ने अभियोजन के सभी आरोपों को गलत कहा और कहा है कि उनके विरूद्ध गलत मुकदमा चला। इसके अतिरिक्त अभियुक्त **बृजेश कुमार** ने कथन किया है कि घटना के दिन वह अपनी बहन के घर गया था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त **वीरेन्द्र सिंह** ने कथन किया है कि घटना के समय वह खेत में मक्का तोड़ रहा था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त **शानू पटेल** ने कथन किया है कि घटना के दिन वह दाखिल खारिज कराने छिबरामऊ गया था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त **तोताराम शर्मा** ने कथन किया है कि घटना के दिन वह अपने गांव में था।

9. मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की बहस सुनी तथा पत्रावलियों का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

10. अभियोजन की तरफ से मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने कथन किया है कि अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप प्रत्येक सम्भावनाओं से परे सत्य साबित है। अतः याचना की है कि अभियुक्तगण को विरचित आरोपों में दोष सिद्ध किया जाए।

11. अभियुक्तगण की तरफ से मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियोजन की तरफ से जो तथ्य के साक्षी परीक्षित कराए गए हैं उनके मौखिक सशपथ साक्ष्य से अभियोजन कथानक को समर्थन प्राप्त नहीं होता है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई थी। दौरान विवेचना अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने का कथन नहीं किया है। अभियोजन की तरफ से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए जो अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप प्रत्येक सम्भावनाओं से परे सत्य साबित नहीं है। अतः याचना की है कि अभियुक्तगण को विरचित आरोपों में दोषमुक्त किया जाए।

12. उभयपक्ष के तर्क के प्रकाश में पत्रावली के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि दिनांक 16.07.2022 को समय अज्ञात स्थान भिन्न–भिन्न थाना तालग्राम के क्षेत्राधिकार में घातक आयुधों से लैश होकर विधि विरूद्ध जमाव लगाकर कुछ लकड़ी की गुमटियों को आग लगाकर क्षतिग्रस्त किया, तालग्राम इन्दरगढ़ रोड को जाम कर आवागमन को बाधित किया, जिससे लोगों में भय व्याप्त हो गया।

13. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन की तरफ से जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसमें तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी/उपनिरीक्षक थाना तालग्राम राम प्रकाश ने यह उल्लेख किया है कि वह थाना हाजा से रोकथाम जुर्म जरायम, शांति व्यवस्था की ड्यूटी में व्यस्त था। सूचना मिली की ग्राम रसूलाबाद में शिव मंदिर के पास किसी जानवर के अवशेष पाये जाने के विरोध स्वरूप आसपास गांवों के करीब 100 व्यक्ति नाम पता अज्ञात ने तालग्राम इन्दरगढ़ रोड को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया है। काफी समझाने बुझाने के बाद भी उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उग्र होकर ग्राम रसूलाबाद व कस्बा तालग्राम में कुछ लकड़ी की गुमटियों को आग लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया है।

14. प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज करायी गई थी। दौरान विवेचना चश्मदीद साक्षी शेखू, माजिद, रेहान, सफीकुर्रहमान, इमरान, इंतजार के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है। उक्त चश्मदीद साक्षियों में से मात्र शेखू, माजिद, सफीकुर्रहमान एवं इमरान को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है। प्रकरण के वादी/उपनिरीक्षक राम प्रकाश ने तहरीर प्रदर्श क–1 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए सशपथ साक्ष्य से साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने किसी भी अभियुक्त को पकड़ा नहीं था, जब वह मौके पर पहुंचा था, तब घटना घट चुकी थी। उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तब वहां पर भीड़ नहीं थी। उसे ध्यान नहीं है कि विवेचक ने उसका बयान किसी दिनांक व दिन में लिया था। उपरोक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस साक्षी ने सुनी–सुनायी साक्ष्य के आधार पर अपना साक्ष्य दिया है।

15. प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी पी.डब्लू–7 सफीकुर्रहमान बताया गया है, जिसके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 16.07.2022 को रसूलाबाद तिराहे पर स्थित शिव मंदिर में किसी ने गौ मांस के अवशेष रख दिये थे। मंदिर में अवशेष किसने रखे मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। घटना के बाद किन–किन लोगों ने दंगा/बवाल किया था, वह नहीं बता सकता। उसने अपनी आंखों से कोई घटना नहीं देखी। घटना के सम्बन्ध में उसने पुलिस को तोताराम, चंचल त्रिपाठी, संदीप, वीरेन्द्र सिंह व बृजेश कुमार आदि के नाम नहीं बताये थे और न ही दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। इस साक्षी ने धारा 161 सी.आर.पी.सी. में किये गए कथनों के विपरीत साक्ष्य दिया है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को धारा 161 सी.आर.पी.सी. में किये गए कथनों के विपरीत साक्ष्य देने के कारण पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने कोई भी घटना अपनी आँखों से नहीं देखी और न ही उसने तोताराम व चंचल त्रिपाठी को कोई गौमांस का अवशेष रखते देखा। उसे जानकारी नहीं है कि पुलिस ने कब और कैसे तोताराम व अन्य लोगों को मुल्जिम बनाया।

16. प्रकरण के दूसरे बताये गए चश्मदीद साक्षी इमरान को पी.डब्लू.9 के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 16.07.2022 को शिव मन्दिर में किसने गौ मांस रख दिया था, उसे इस बात की जानकारी नहीं है। घटना के समय वह बीमार चल रहा था और वह घर पर लेटा हुआ था। घटना में शामिल अभियुक्त तोताराम व उनके साथी चंचल त्रिपाठी व संदीप कुमार को वह न तो जानता है और न ही पहचानता है। उसे दिनांक 16.07.2022 को हुई घटना के बारे में कुछ पता नहीं है। इस साक्षी ने धारा 161 सी.आर.पी.सी. में किये गए कथनों के विपरीत साक्ष्य दिया है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को धारा 161 सी.आर.पी.सी. में किये गए कथनों के विपरीत साक्ष्य देने के कारण पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसकी कभी किसी पुलिसवाले से मुलाकात नहीं हुई। उसे दिनांक 16.07.2022 की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

17. घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.डब्लू.11 माजिद व पी.डब्लू.12 शेखू ने भी न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य से धारा 161 सी.आर.पी.सी. में दिये गए साक्ष्य के विपरीत कथन किया है, जिन्हें अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

18. पी.डब्लू 2 नीरज कुमार जिसके द्वारा प्रकरण की घटना की सूचना पुलिस को देना बताया गया है, ने अपने सशपथ साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि उसने मंदिर पर जाकर देखा कि मंदिर के ऊपर गेट के सामने हवन कुण्ड के पास गौवंश की खाल बिछी थी तथा उस पर गौवंश का कटा हुआ सिर रखा था। उसने 100 नंबर पर फोन मिलाया था बाद में 112 नंबर पर काल कर के पुलिस को सूचना दी थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने किसी व्यक्ति को न तो पहचाना था और न ही पुलिस को उनके नाम बताये थे। उसने किसी भी गुमटी को न तो किसी व्यक्ति के द्वारा जलाते देखा और न ही उसने गुमटी को जले हुए देखा था। उसे घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के सम्पूर्ण बयान के परीशीलन से स्पष्ट है कि इस साक्षी को घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है, जबकि कथित घटना से इसकी दुकान कुछ ही दूरी पर बतायी गई है। इस साक्षी के बयान से भी अभियोजन को कोई बल नहीं मिलता है।

19. पी.डब्लू.–3 उम्मीदुल हसन, पी.डब्लू–5 हरेन्द्र सिंह, पी.डब्लू.6 जमील, पी.डब्लू.

8 दानिश, पी.डब्लू.–13 गुलफाम एवं पी.डब्लू–14 नौशाद को तथ्य के साक्षी के रूप में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षियों द्वारा भी अपने सशपथ बयान में न्यायालय के समक्ष घटना के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है। उपरोक्त साक्षियों ने धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत अंकित बयान के विपरीत अपना साक्ष्य दिया है, जिस कारण अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

20. पी.डब्लू.–4 आरक्षी कर्मवीर प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 व जी.डी. मुकदमा कायमी प्रदर्श क–03 को साबित किया है। अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध करने के अतिरिक्त साक्षी की साक्ष्य का अन्य कोई महत्व नहीं है।

21. पी.डब्लू.–10 उपनिरीक्षक राजेश प्रताप सिंह प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य से घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–04, आरोप पत्र प्रदर्श क–05 व 06 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए साबित किया है। अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध करने के अतिरिक्त साक्षी की साक्ष्य का अन्य कोई महत्व नहीं है।

22. वादी/उपनिरीक्षक थाना तालग्राम राम प्रकाश ने अपनी तहरीर में कथन किया है कि उन्हें सूचना मिली की ग्राम रसूलाबाद में शिव मंदिर के पास किसी जानवर के अवशेष पाये जाने के विरोध स्वरूप आसपास गांवों के करीब 100 व्यक्ति नाम पता अज्ञात ने तालग्राम इन्दरगढ़ रोड को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया है। काफी समझाने बुझाने के बाद भी उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उग्र होकर ग्राम रसूलाबाद व कस्बा तालग्राम में कुछ लकड़ी की गुमटियों को आग लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। प्रकरण में शिव मंदिर में गौमांस के अवशेष फेंके जाने व अभियुक्तों द्वारा गौ मांस फेंके जाने के कृत्य से नाराज होकर लकड़ी की गुमटी को जलाने का कथन किया गया है, लेकिन पत्रावली में प्रकरण के विवेचक द्वारा बरामद गौ मांस व जली लकड़ी की गुमटियों की कोई फर्द तैयार नहीं की गई है। प्रकरण के विवेचक पी.डब्लू– 10 राजेश प्रताप सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि खोखे जले हुए उसने कब्ज़े में नहीं लिया था, उसने जले हुए सामान की कोई फर्द नहीं बनायी थी। जले खोखे की राख के सम्बन्ध में उसने कोई नापतौल नहीं की थी और न ही उसने कब्ज़े में लिया था।

23. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में किसी भी अभियुक्त को नामजद नहीं किया गया है। प्रकरण के विवेचक द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि चश्मदीद साक्षी शेखू व माजिद के बयान के आधार पर अभियुक्तगण की संलिप्तता अपराध में पायी गई थी लेकिन न्यायालय के समक्ष पी.डब्लू.–11 माजिद व पी.डब्लू.–12 शेखू ने न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्तगण को जाम लगाते हुए व आग लगाते हुए नहीं देखा था, वे मौके पर नहीं थे। उपरोक्त चश्मदीद साक्षियों के बयान के आधार पर अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 14 साक्षियों को परीक्षित कराए गएं हैं, जिनमें पी.डब्लू.–1 वादी/उपनिरीक्षक राम प्रकाश, पी.डब्लू.–2 से पी.डब्लू.–14 तक कथित स्वतंत्र साक्षी, पी.डब्लू.–4 एवं पी.डब्लू.–10 औपचारिक साक्षी रहे। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। किसी भी अभियुक्त का नाम प्रारम्भ में अंकित नहीं था। अतः अभियुक्तों की पहचान पूर्णतः विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों पर निर्भर थी। पी.डब्लू.–1 राम प्रकाश स्वयं घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि जब वे घटनास्थल पर पहुँचे, घटना घट चुकी थी। उन्होंने किसी अभियुक्त को मौके पर नहीं

देखा। उनका साक्ष्य सूचना पर आधारित (hearsay) है। अतः उनका साक्ष्य अभियुक्तों की संलिप्तता सिद्ध करने हेतु विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।अभियोजन के मुख्य आधार कथित चश्मदीद साक्षी थे, किन्तु पी.डब्लू.–7 सफीकुर्रहमान, पी.डब्लू.–9 इमरान, पी.डब्लू.–11 माजिद एवं पी.डब्लू.–12 शेखू है। सभी चश्मदीद साक्षियों ने न्यायालय में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा अपने पूर्व कथनों से मुकर गए। इन साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया। इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने घटना अपनी आँखों से नहीं देखी, किसी अभियुक्त को घटना करते नहीं देखा और न ही पुलिस को अभियुक्तगण के नाम नहीं बताए। उपरोक्त चश्मदीद साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन की मूल नींव ही कमजोर हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के स्वतंत्र साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तों की पहचान नहीं की, न ही घटना के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी और न ही किसी अभियुक्त को लकड़ियों की गुमटियों में आग लगाते या जाम करते देखने का साक्ष्य नहीं दिया है। इस प्रकार स्वतंत्र साक्ष्य भी अभियोजन का समर्थन नहीं करते।

25. यह भी महत्वपूर्ण है कि कथित जली हुई गुमटियों का कोई जब्ती पंचनामा नहीं बनाया गया तथा कथित गौमांस के अवशेष की बरामदगी का कोई दस्तावेज नहीं तैयार किया गया और न ही कोई वैज्ञानिक या फोरेंसिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विवेचक पी.डब्लू.–10 उपनिरीक्षक राजेश प्रताप सिंह ने स्वयं स्वीकार किया है कि जले हुए सामान को कब्जे में नहीं लिया गया न ही कोई फर्द तैयार की गई। अतः प्रकरण में भौतिक साक्ष्य का पूर्ण अभाव रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई है। प्रकरण के चश्मदीद साक्षी मुकर गए हैं। प्रकरण में अभियुक्तों की कोई ठोस पहचान का साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्तों की संलिप्तता संदेहास्पद हो जाती है। दण्ड विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला "संदेह से परे" सिद्ध करना होता है। यदि साक्ष्यों में संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाता है।

26. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के सम्यक् परीक्षण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्ष्य परस्पर विरोधी एवं अविश्वसनीय हैं, कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियुक्तों के विरुद्ध घटना का समर्थन नहीं करता है। प्रकरण में भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव रहा है तथा अभियुक्तों की पहचान संदेहास्पद है।

27. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण वीरेन्द्र सिंह, बृजेश कुमार, रवि, पंकज, आशाराम, उमेश, राजन पटेल व शानू पटेल के विरूद्ध धारा–147, 148, 427/149, 436/149 व 341/149 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट एवं अभियुक्तगण तोताराम शर्मा, चंचल त्रिपाठी व संदीप के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता धारा–147, 148, 427, 436 व 341 एवं धारा 7 सी.एल.ए. एक्ट का आरोप प्रत्येक सम्भावनाओं से परे सत्य साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण वीरेन्द्र सिंह, बृजेश कुमार, रवि, पंकज, आशाराम, उमेश, राजन पटेल व शानू पटेल को सत्र परीक्षण संख्या–820/2022 अपराध संख्या–189/2022 धारा–147, 148, 427/149, 436/149 व 341/149 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट एवं अभियुक्तगण तोताराम शर्मा, चंचल त्रिपाठी व संदीप को सत्र परीक्षण संख्या–996/2022 अपराध संख्या–189/2022 धारा–147, 148, 427, 436 व 341 एवं धारा 7 सी.एल.ए. एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को प्रतिभू के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त प्रत्येक को निर्देशित किया जाता है कि वे धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता (481 बी.एन.एस.एस.) का अनुपालन करते हुए **मु. 50,000/– (पचास हजार)** रूपये की **दो प्रतिभू** दाखिल करे, जिसकी **अवधि 6 माह** तक होगी तथा अपील दाखिल किये जाने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी।

निर्णय की प्रति सत्र वाद संख्या–996/2022 राज्य प्रति तोताराम आदि की पत्रावली में रखी जाए, जो उस पत्रावली के लिए मूल निर्णय होगा।

दिनांक–23.04.2026

(नरेन्द्र कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश,
कन्नौज।
J.O.CODE–UP02007

मैंने आज खुली अदालत में निर्णय पर हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया।

दिनांक–23.04.2026

(नरेन्द्र कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश,
कन्नौज।
J.O.CODE–UP02007